



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार- 249404

पत्रांक :: 60 / 10 / डी0आर0 / सेवा-02 / 2017-18

दिनांक :: 29 जून, 2022

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, समूह 'ग' के सापेक्ष अनर्ह घोषित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन निस्तारण की सूची

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, समूह 'ग' परीक्षा-2021 के अन्तर्गत रिक्त 26 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन संख्या :: A-3 / DR / S-3 / 2021 दिनांक 11 सितम्बर, 2021 प्रकाशित किया गया था। उक्त विज्ञापन में विज्ञापित **खान निरीक्षक** पद हेतु आयोग कार्यालय के पत्र दिनांक 19 मई, 2022, **सर्वेक्षक** पद हेतु आयोग कार्यालय के पत्र दिनांक 18 मई, 2022, एवं **प्राविधिक सहायक भू-विज्ञान** पद हेतु आयोग कार्यालय के पत्र दिनांक 10 मई, 2022 के क्रम में अनर्ह घोषित अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रत्यावेदनों पर मा0 आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अनर्ह घोषित किये जाने संबंधी पूर्व निर्णय को यथावत रखते हुए प्रत्यावेदन निरस्त कर दिये गये हैं, जिनका कारण सहित विवरण निम्नवत् है:-

पदनाम-खान निरीक्षक

क्र. सं.	आवेदन पत्र सं0	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी द्वारा किया गया अनुरोध	आयोग का निर्णय/निस्तारण आदेश
01	GMV700343	ROHIT KUMAR	अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन के माध्यम से पत्नी का स्थाई प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं विवाह पंजीकरण की छायाप्रति संलग्न कर उपलब्ध करायी गयी है।	अभ्यर्थी द्वारा अनर्ह सूची के क्रम में प्रस्तुत अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के संबंध में मा0 आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावित बिन्दु सं0-5(ii) में समूह 'ग' पद हेतु उल्लिखित अनिवार्य/वांछनीय अर्हता धारित नहीं करते है। अतः मा0 आयोग द्वारा अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किए जाने के पूर्व निर्णय दिनांक 19.05.2022 को यथावत रखते हुये प्रत्यावेदन निरस्त कर दिया गया है।

02	GMV700715	TAJBER SINGH NEGI	अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रत्यावेदन के माध्यम से स्वयं के पिता का उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम का पहचान पत्र एवं पूर्व सैनिक सम्बन्धी सेवा पुस्तिका की छायाप्रति संलग्न कर उपलब्ध करायी गयी है।	<p>अभ्यर्थी द्वारा अनर्ह सूची के क्रम में प्रस्तुत अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के संबंध में मा0 आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावित बिन्दु सं0-4(ii) में समूह 'ग' पद हेतु उल्लिखित अनिवार्य/वांछनीय अर्हता धारित नहीं करते है।</p> <p>अतः मा0 आयोग द्वारा अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किए जाने के पूर्व निर्णय दिनांक 19.05.2022 को यथावत् रखते हुये प्रत्यावेदन निरस्त कर दिया गया है।</p>
03	GMV701021	SATYENDRA RAHUL CHAUHAN	अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रत्यावेदन के माध्यम से B. Tech (Geo Science) के अभिलेख एवं भारतीय विश्वविद्यालय संघ के पत्र दिनांक 20.03.2012 संलग्न कर प्रेषित किया गया है।	<p>अभ्यर्थी द्वारा अनर्ह सूची के क्रम में B. Tech (Geo Science) के अभिलेख एवं भारतीय संघ के पत्र दिनांक 20.03.2012 संलग्न कर प्रेषित किया गया है।</p> <p>भारतीय विश्वविद्यालय संघ के पत्र दिनांक 20.03.2012 के पत्र में समकक्ष अर्हता का उल्लेख किया गया है।</p> <p>प्रश्नगत पद की संगत सेवानियमावली एवं विज्ञापन में किसी भी समकक्ष अर्हता का उल्लेख नहीं किया गया है।</p> <p>अतः अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों/प्रमाण पत्रों पर मा0 आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थी संगत सेवानियमावली एवं विज्ञापन के बिन्दु संख्या-03(1).3 की शर्तानुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करते है।</p> <p>अतः मा0 आयोग द्वारा अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किए जाने के पूर्व निर्णय दिनांक 19.05.2022 को यथावत् रखते हुये प्रत्यावेदन निरस्त कर दिया गया है।</p>

04	GMV701254	ANIL KUMAR NAGLE	अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रत्यावेदन के माध्यम से हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट (मध्य प्रदेश) के अभिलेख संलग्न कर प्रेषित किये गये हैं।	अभ्यर्थी द्वारा अनर्ह सूची के क्रम में प्रस्तुत अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के संबंध में मा0 आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावित बिन्दु सं0-3 में समूह 'ग' पद हेतु उल्लिखित अनिवार्य/वांछनीय अर्हता धारित नहीं करते हैं। अतः मा0 आयोग द्वारा अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किए जाने के पूर्व निर्णय दिनांक 19.05.2022 को यथावत् रखते हुये प्रत्यावेदन निरस्त कर दिया गया है।
----	-----------	------------------	--	--

पदनाम— सर्वेक्षक

क्र. स.	आवेदन पत्र सं0	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी द्वारा किया गया अनुरोध	आयोग का निर्णय/निस्तारण आदेश
01	GMV700145	SANDEEP SINGH NEGI	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं समस्त शैक्षिक अभिलेख दिनांक 27.05.2022 को आयोग कार्यालय में प्रस्तुत किये गये हैं।	अभ्यर्थी द्वारा अनर्ह सूची के क्रम में The Institution of Civil Engineers (India) द्वारा जारी अंकतालिका एवं डिप्लोमा प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया गया है। जिसमें Technican membership Examination (Civil) - Equivalent to Diploma का उल्लेख किया गया है। प्रश्नगत पद की संगत सेवानियमावली एवं विज्ञापन में किसी भी समकक्ष अर्हता का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों/प्रमाण पत्रों पर मा0 आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त

				<p>यह निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थी संगत सेवानियमवाली एवं विज्ञापन के बिन्दु संख्या-03(3).3 की शर्तानुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करते हैं।</p> <p>अतः मा0 आयोग द्वारा अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किए जाने के पूर्व निर्णय दिनांक 18.05.2022 को यथावत् रखते हुये प्रत्यावेदन निरस्त कर दिया गया है।</p>
--	--	--	--	--

पदनाम- प्राविधिक सहायक भू-विज्ञान

क्र. स.	आवेदन पत्र सं०	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी द्वारा किया गया अनुरोध	आयोग का निर्णय/निस्तारण आदेश
01	GMV700343	ROHIT KUMAR	अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन के माध्यम से पत्नी का स्थाई प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं विवाह पंजीकरण की छायाप्रति संलग्न कर उपलब्ध करायी गयी है।	<p>अभ्यर्थी द्वारा अनर्ह सूची के क्रम में प्रस्तुत अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के संबंध में मा0 आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावित बिन्दु सं०-5(ii) में समूह 'ग' पद हेतु उल्लिखित अनिवार्य/वांछनीय अर्हता धारित नहीं करते हैं।</p> <p>अतः मा0 आयोग द्वारा अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किए जाने के पूर्व निर्णय दिनांक 10.05.2022 को यथावत् रखते हुये प्रत्यावेदन निरस्त कर दिया गया है।</p>
02	GMV700715	TAJBER SINGH NEGI	अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रत्यावेदन के माध्यम से स्वयं के पिता का उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम का पहचान पत्र एवं पूर्व सैनिक सम्बन्धी सेवा	<p>अभ्यर्थी द्वारा अनर्ह सूची के क्रम में प्रस्तुत अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के संबंध में मा0 आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावित बिन्दु सं०-4(ii) में</p>

		पुस्तिका की छायाप्रति संलग्न कर उपलब्ध करायी गयी है।	समूह 'ग' पद हेतु उल्लिखित अनिवार्य/वांछनीय अर्हता धारित नहीं करते है। अतः मा0 आयोग द्वारा अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किए जाने के पूर्व निर्णय दिनांक 10.05.2022 को यथावत् रखते हुये प्रत्यावेदन निरस्त कर दिया गया है।
--	--	--	--

2- प्रश्नगत पद हेतु प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 11 सितम्बर, 2021 के अतिमहत्वपूर्ण बिन्दु सं0-11 के क्रम में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण-पत्र/अभिलेखों निर्धारित अंतिम तिथि 18 अक्टूबर, 2021 तक, आयोग कार्यालय में उपलब्ध न कराने के कारण मा0 आयोग द्वारा उक्त अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन विज्ञापन के बिन्दु सं0-11 के क्रम में निरस्त कर दिया गया था। सर्वेक्षक एवं खान निरीक्षक पदों हेतु प्रकाशित अभ्यर्थन निरस्त घोषित अभ्यर्थियों की सूचियों के क्रम में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा प्रत्यावेदनों के साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण-पत्र/अभिलेख प्रेषित कर स्वयं को स्क्रीनिंग परीक्षा में सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध के संबंध में मा0 आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त अभ्यर्थियों के अनुरोध को अस्वीकार कर पूर्व निर्णय को यथावत् रखते हुए प्रत्यावेदन निरस्त कर दिये गये है। जिनका विवरण निम्नवत् है:-

पदनाम- सर्वेक्षक

क्र0सं0	आवेदन पत्र सं.	अभ्यर्थी का नाम
1	GMV701146	TRIVENDRA SINGH GUSAIN
2	GMV701033	GOVIND SINGH
3	GMV701126	DEWAN JI
4	GMV701347	SACHIN KUMAR
5	GMV701125	SONU KUMAR
6	GMV701343	MANJEET SINGH
7	GMV701092	INDUBALA
8	GMV701189	VIKASH PANDEY
9	GMV700859	ANJALI

10	GMV700440	ATUL KUMAR
11	GMV701202	POONAM SAKLANI

पदनाम— खान निरीक्षक

क्र०सं०	आवेदन पत्र सं.	अभ्यर्थी का नाम
1	GMV700622	HEMENDRA SINGH CHAUHAN

-Sd/-
(कर्मन्द्द्र सिंह)
सचिव ।